विषय सूची

अध्याय क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
अध्याय -1	प्रस्तावना	1
अध्याय -2	राज्य बोर्ड का गठन	4
अध्याय -3	बोर्ड की बैठकें	5
अध्याय -4	जल एवं वायु गुणवत्ता के लिये प्रबोधन तंत्र	6
अध्याय -5	पर्यावरणीय समस्यायें और इसके नियंत्रण हेतु किया जा रहे उपायों की वर्तमान स्थिति	14
अध्याय -6	पर्यावरणीय अनुसंधान	26
अध्याय -7	पर्यावरणीय प्रशिक्षण	28
अध्याय -8	पर्यावरणीय जागरूकता एवं जन-भागीदारी	33
अध्याय -9	पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण हेतु की गई न्यायालयीन कार्यवाही	37
अध्याय -10	बोर्ड के वित्त और लेखे	42
अध्याय -11	वार्षिक योजना, 2014-2015	43
अध्याय -12	राज्य बोर्ड द्वारा किये गये अन्य महत्वपूर्ण कार्य	44

परिशिष्ट :-

1. बोर्ड के सदस्य ।
2. बोर्ड की मुख्यालय स्तर पर संरचना एवं प्रदेश के विभिन्न अंचलों में कार्यालय ।
3. जल उपचार संयंत्र लगाने वाले उद्योगों, अस्पतालों एवं खदानों की सूची ।
4. वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने वाले उद्योगों, अस्पतालों एवं संस्थानों की सूची ।
5. प्रकाशन ।

1. प्रस्तावना

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 (2) के परिपालन में राज्य शासन को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है ।

मध्यप्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत गठित एक सांविधिक संगठन है। राज्य में प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिये सर्वप्रथम सितम्बर 1974 में बोर्ड गठित किया गया था । प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कुछ अन्य अधिनियम लागू किये जाने से बोर्ड का कार्यक्षेत्र और अधिक व्यापक हो गया । वर्तमान में बोर्ड निम्नलिखित अधिनियमों के दायित्व का निर्वहन कर रहा है :-

1. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
3. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत,
   - 4.1 परिसंकटमय अपशिष्ठ (प्रबंधन, हयालन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2008
   - 4.2 परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989
   - 4.3 जैव चिकित्सा अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 1998
   - 4.4 अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंधन और प्रहस्तन) नियम, 2011
   - 4.5 नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000
   - 4.6 बैटरी (प्रबंधन और हयालन) नियम, 2001
   - 4.7 ई-अपशिष्ट (प्रबंध और हयालन) 2011
5. मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004
   - 5.1 मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) नियम, 2006

बोर्ड का मुख्य उद्देश्य राज्य में जल स्त्रोतों एवं वायु गुणवत्ता पर सतत् निगरानी रखना व उसको स्वच्छ बनाये रखना है । अधिनियमों एवं नियमों को प्रभावी ढ़ंग से लागू करने हेतु नीति निर्धारण, सामान्य प्रशासन तथा अन्य एजेन्सियों से सामंजस्य बनाये रखते हुए पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित विषयों पर जन-चेतना लाना आदि कार्य भी बोर्ड द्वारा सम्पादित किये जाते हैं ।

पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में सतत् अनुसंधान हेतु बोर्ड मुख्यालय में विभिन्न आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित राज्य स्तरीय केन्द्रीय प्रयोगशाला है। क्षेत्रीय कार्यालयों में भी क्षेत्रीय प्रयोगशालाएँ कार्यरत हैं ।

राज्य बोर्ड के कार्य :

- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन से संबद्ध किसी विषय पर राज्य सरकार को सलाह देना।
- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिए व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाना तथा उसके निष्पादन को सुनिश्चित करना।
- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन से संबंधित जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार करना।
- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन की समस्याओं से संबंधित अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देना, उनका संचालन करना और उसमें भाग लेना,
- मल या व्यावसायिक बहिःस्त्राव की अभिक्रिया के लिए संकर्म एवं संयंत्रों का निरीक्षण करना,
- वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए ऐसे अन्तरालों पर जैसा आवश्यक समझे ऐसे क्षेत्रों का निरीक्षण करना,
- बहिःस्त्रावों के निस्सारण के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो रहे जल की गुणवत्ता के लिए बहिःस्त्राव मानक अधिकथित करना, उनमें उपान्तरण करना या उन्हें बातिल करना,
- केन्द्रीय बोर्ड से परामर्श करके तथा केन्द्रीय बोर्ड द्वारा वायु की गुणवत्ता के लिए अधिकथित मानकों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक संयंत्रों और मोटर गाड़ियों से वातावरण में वायु प्रदूषणकारी के उत्सर्जन अथवा अन्य किसी स्त्रोत से जो जहाज अथवा वायुयान न हो, वातावरण में वायु प्रदूषणकारी के निस्सारण के लिए मानक अधिकथित करना,
- मल एवं व्यावसायिक बहिःस्त्राव की अभिक्रिया की मितव्ययी और विश्वसनीय पद्धतियाँ निकालना,
- कृषि में मल और उपयुक्त व्यावसायिक बहिःस्त्रावों के उपयोग की पद्धतियाँ विकसित करना,
- भूमि पर मल और उपयुक्त व्यावसायिक बहिःस्त्रावों के व्ययन की दक्ष पद्धतियाँ विकसित करना,
- सरिताओं या कुँओं में अपशिष्ट के निस्सारण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के आदेश करना, उसमें उपन्तरण करना या उसे वापस लेना,
- राज्य सरकार को किसी ऐसे उद्योग के परिसर अथवा अवस्थान के बारे में सलाह देना जिसके चलाये जाने से वायु प्रदूषण अथवा सरिता या कुएँ का प्रदूषण संभाव्य है,
- सरिता या कुएँ से जल के नमूनों का अथवा मल या व्यावसायिक बहिःस्त्राव के नमूनों का विश्लेषण कराने के लिए प्रयोगशालाएँ स्थापित करना, एवं
- ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो केन्द्रीय बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएँ या उसे समय-समय पर सौंपे जायें ।

• • •

क्षेत्रीय कार्यालयों के दायित्व :

- उद्योगों एवं स्थानीय संस्थाओं के प्रदूषण/प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संबंधी निरीक्षण।
- क्षेत्र में स्थित उद्योगों के निस्राव एवं उत्सर्जन की मॉनिटरिंग ।
- क्षेत्र की परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग, ध्वनि स्तर, वाहन उत्सर्जन मापन कार्य ।
- उद्योग स्थापित करने हेतु प्रस्तावित स्थल का पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्तता बावत् जॉंच कार्य।
- प्राकृतिक जल स्रोत्रों, नदियों, तालाबों, नालों आदि की मॉनिटरिंग ।
- पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों पर राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम के अन्तर्गत मॉनिटरिंग ।
- लघु श्रेणी के उद्योगों एवं नगर पालिका परिषदों को सम्मति जारी करना, सम्मति का नवीनीकरण करना ।
- वृहद् एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के सम्मति/सम्मति नवीनीकरण से संबंधित प्रतिवेदन अनुशंसा सहित मुख्यालय को प्रस्तुत करना । प्रदूषण संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु कार्यवाही करना ।
- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं का निरीक्षण कर प्रगति से मुख्यालय को अवगत कराना ।
- क्षेत्र में प्राकृतिक जल स्रोत्रों, नदियों आदि में घरेलू जल-मल से जल गुणवत्ता प्रभावित होने पर इसके नियंत्रण हेतु योजना बनाना।
- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के प्रावधानों के तहत् जल उपयोग संबंधी जानकारी मुख्यालय भेजना ।
- पर्यावरण जन-चेतना हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना ।

● ● ●

2. राज्य बोर्ड का गठन

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन राज्य शासन द्वारा केन्द्रीय जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा- 4 (2) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार किया जाता है। संचालक मण्डल में 17 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है।

आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर 17 सदस्यीय संचालक मंडल में अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा मनोनीत राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य, स्थानीय निकायों के पांच प्रतिनिधि, कृषि, मछली पालन एवं उद्योग की श्रेणी से तीन अशासकीय सदस्य तथा राज्य शासन के स्वामित्व/नियंत्रण द्वारा संचालित किये जाने वाले निगमों या कम्पनियों के दो प्रतिनिधि शामिल किये जाते है । बोर्ड के सदस्यों की सूची परिशिष्ट-1 में तथा संगठनात्मक संरचना एवं कार्यालयों का विवरण परिशिष्ट-2 में प्रस्तुत है ।

• • •

3. बोर्ड की बैठकें

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम् 1974 की धारा- 8 के अनुसार विचाराधीन वर्ष में बोर्ड की दो बैठकें आयोजित की गई :

क्रमांक	बैठक संख्या	तिथि	स्थान	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	131	22.08.2013	भोपाल	11
2.	132	05.12.2013	भोपाल	12

बैठकों में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय

1. भवन एवं रहवासी क्षेत्र विकास संबंधी योजनाओं के सम्मति प्रकरणों में निर्णय लेने की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई।
2. शासकीय सेवा में भर्ती हेतु मेन्युअल हिन्दी मुद्रलेख प्रमाण- पत्र के स्थान पर कम्प्यूटर टाईपिंग दक्षता प्रमाण-पत्र को मान्यता देने तथा कम्प्यूटर डिप्लोमा की सूची में आई.टी.आई. से एक वर्षीय पाठ्यक्रम को शामिल किये जाने हेतु मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भर्ती तथा सेवा शर्ते (तृतीय श्रेणी) नियम् 1996 की अनुसूची में निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

• • •

4. जल एवं वायु गुणवत्ता के लिये प्रबोधन तंत्र

राज्य में जल एवं वायु गुणवत्ता को स्वच्छ बनाये रखने एवं इस पर सतत निगरानी हेतु निगरानी नेटवर्क का विकास बोर्ड के संसाधनों तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय योजनाओं के अन्तर्गत हुआ है :

वायु गुणवत्ता प्रबोधन :

वायु गुणवत्ता प्रबोधन, वायु गुणवत्ता प्रबंध का एक महत्वपूर्ण अंग है । वायु गुणवत्ता प्रबोधन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

1. वर्तमान वायु गुणवत्ता की स्थिति तथा प्रवृत्ति का निर्धारण।
2. शहरी योजना एवं औद्योगिक स्थापनाओं के लिए आवश्यक आधारभूत वायु गुणवत्ता आंकड़े उपलब्ध कराना।
3. वायु गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने के लिए उद्योगों तथा अन्य स्त्रोतों के प्रदूषण को नियंत्रित करना ।

(1) राष्ट्रीय वायु मॉनिटरिंग प्रोग्राम (NAMP) -

योजना के अन्तर्गत राज्य के 10 प्रमुख शहरों में 24 अलग-अलग स्थानों पर (आवासीय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों वाले स्थान) सप्ताह में दो बार लगभग 24 घण्टे वायु मॉनिटरिंग का कार्य किया जाता है। इस दौरान सल्फर डाई आक्साइड, नाइट्रोजन के आक्साईड, सस्पेंडेड पार्टीकुलेट मेटर एवं रेस्पायरेबल संस्पेंडेड पार्टीकुलेट मेटर प्रचालको का परीक्षण परिवेशीय वायु में किया जाता है। वर्ष 2013-14 के दौरान एकत्रित एवं विश्लेषित किये गये नमूनों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	पैरामीटर	नमूनों की संख्या
1.	So_2	9039
2.	Nox	9274
3.	RSPM	4839
4.	SPM	3865
5.	PM 2.5	206

प्राप्त विश्लेषण परिणाम क्षेत्रीय प्रयोगशाला द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ऑनलाईन प्रेषित किये जाते है।

(2) उद्योगों की चिमनियों के उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु की निगरानी -

उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उद्योगों से अत्यधिक मात्रा में धूल के कण एवं हानिकारक गैसों का उत्सर्जन संभावित होता है, जो चिमनियों के माध्यम से या सीधे वायु मंडल में विसरित होते हैं। इससे उद्योग के आसपास के वातावरण के प्रदूषित होने की संभावना रहती है । इस वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उद्योगों द्वारा ई.एस.पी., बैग फिल्टर, डस्ट कलेक्टर आदि द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण किया जाता है। औद्योगिक गतिविधियों के फलस्वरूप संभावित वायु प्रदूषण पर सतत् निगरानी रखने हेतु बोर्ड क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से उद्योगों की चिमनियों से होने वाले उत्सर्जन एवं निकटवर्ती परिवेशीय वायु गुणवत्ता की निगरानी हेतु नियमित मॉनिटरिंग करता है ।

वर्ष 2013-14 में चिमनियों के कुल 997 एवं औद्योगिक एवं शहरीय परिवेशीय वायु के 3648 नमूनें एकत्रित कर विश्लेषित किये गये ।

(3) वाहन जनित प्रदूषण का सर्वेक्षण -

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रत्येक क्षेत्रीय प्रयोगशाला को प्रति वर्ष वाहनों के उत्सर्जन की जाँच हेतु लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2013-14 में क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, गुना, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, शहडोल एवं सिंगरौली के माध्यम् से कुल 14880 वाहनों के उत्सर्जन की जॉच का लक्ष्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित किया गया था।

जाँच किये गये वाहनों का विवरण :-

वर्ष 2013-14 में कुल 16240 वाहनों के उत्सर्जन की जॉच की गई, जिसमें से 1016 वाहन (6.3 प्रतिशत) निर्धारित मानकों से अधिक उत्सर्जन करते पाये गये। क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं अनुसार परिणाम संलग्नक-1 में दर्शित है।

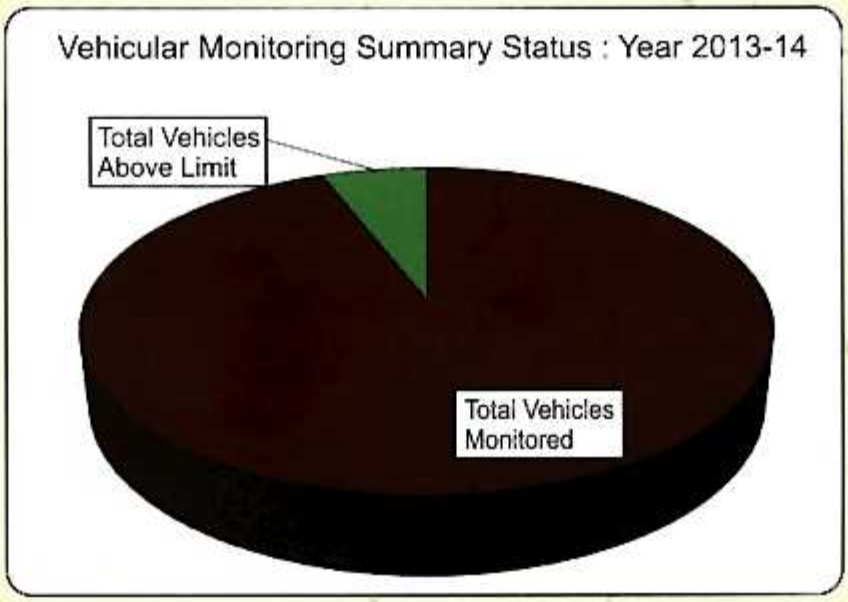

सर्वेक्षण के निष्कर्ष एवं की गई सिफारिशें :-

उपरोक्त नगरों में चलने वाले अधिकांश डीजल चलित टैम्पो, मिनी बसों के उत्सर्जन निर्धा मानकों से अधिक पाये गये । मोटरयान अधिनियम, 1988 के अनुसार वाहनों से होने वाले प्रदूषण नियंत्रित करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही का अधिकार परिवहन विभाग को है । बोर्ड द्वारा किये गये सर्वे के आधार पर वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु परिवहन विभाग को समय-समय पर सुझाव दि जाते हैं एवं जन मानस में वाहनों से होने वाले प्रदूषण के सम्बन्ध में जन-जागरूकता लाने के प्रयास कि जाते हैं । सम्बन्धित विभाग को दिये गये सुझाव निम्नलिखित हैं :-

(1) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत डीजल तथा पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की नियमि जाँच।

(2) ईंधन में मिलावट को रोकने हेतु पेट्रोल पम्पों पर प्रदाय किये जा रहे तथा वाहनों द्वारा उपयोग कि जा रहे, ईंधन की नियमित जाँच ।

(3) अत्यधिक व्यस्त मार्गों को एकांकी घोषित किया जाना ।

(4) शासकीय वाहनों के उत्सर्जन की जॉच किया जाना ।

(5) वाहनों से होने वाले प्रदूषण एवं उनमें सुधार कैसे सम्भव हो, समझाईश वाहनों की जाँच के सम दी जानी चाहिए ।

(6) पेट्रोल तथा डीजल चलित वाहनों में सी.एन.जी. (कम्प्रेस्ड नेच्यूरल गैस) का उपयोग किया जाना।

ध्वनि प्रदूषण सर्वेक्षण :-

बोर्ड द्वारा ध्वनि स्तर का सर्वेक्षण व मापन संबंधी कार्य वाणिज्यिक, आवासीय, शांत ए औद्योगिक क्षेत्रों में बोर्ड के क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से सम्पन्न कराया जाता है। व 2013-2014 में लक्ष्य 5184 नमूने निर्धारित किया गया था एवं इसके विरूद्ध कुल 6019 नमूनो का ध्वनि स्तर मापन किया गया। जिसमें से 2874 (47.75 प्रतिशत) नमूने निर्धारित मानकों से अधिक पा गये।

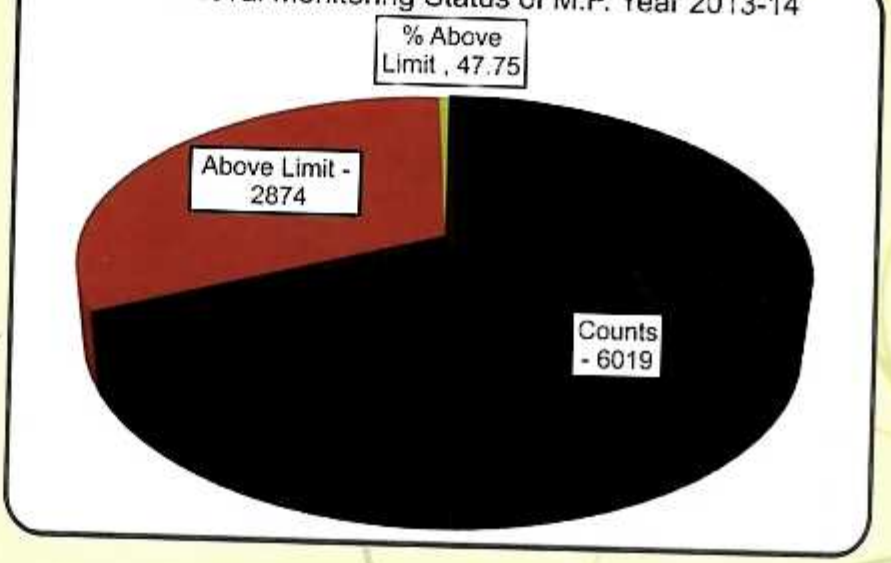

प्रदेश के प्रमुख शहरों में किये गये शोर प्रदूषण सर्वेक्षण का पूर्ण विवरण : -

वर्ष 2013-2014 में प्रदेश के 37 प्रमुख नगरों में ध्वनि स्तर मापन किया गया ।

(संलग्नक-2)

1. शहर क्षेत्रवार अध्ययन से प्राप्त परिणामों का विवरण :-

प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों के ध्वनि स्तर सर्वेक्षण में कुल 24.33 प्रतिशत ध्वनि स्तर के आँकडें निर्धारित मानक से अधिक पाये गये । इसी प्रकार वाणिज्यिक क्षेत्र में 59.53 प्रतिशत, आवासीय क्षेत्र में 49.58 प्रतिशत एवं शाँत क्षेत्र में 48.82 प्रतिशत ध्वनि स्तर के ऑकडें निर्धारित मानकों से अधिक पाये गये । शहरी क्षेत्रों (वाणिज्यिक आवासीय एवं शाँत क्षेत्र) में ध्वनि स्तर निर्धारित मानकों से अधिक पाये जाने के मुख्य कारण अत्यधिक वाहनों का आवागमन, वाणिज्यिक गतिविधियाँ, वाहनों में प्रेशर हार्न का उपयोग़ वैवाहिक एवं धार्मिक आयोजनों के दौरान लाउड स्पीकर/ अत्याधिक तेज ध्वनि वाले संगीत प्रणाली का उपयोग करना, जनरेटर सेट का उपयोग एवं दीपावली और अन्य त्यौहारों के दौरान अत्याधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों का उपयोग करना है।